कार्यालय कुटुम्ब न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव छ0ग0

//आदेश//

क्रमांक 02 /दो–12–03/2021 कोण्डागांव दिनांक 20.02.2024

कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव में भर्ती/चयन समिति, जिला न्यायालय कोण्डागांव छ0ग0 के द्वारा साक्ष्य लेखक के पद हेतु प्रेषित चयन सूची के अनुसार नीचे लिखे चयनित अभ्यर्थी को छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन बेण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900/–) लेवल–4 (19500–62000) पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन साक्ष्य लेखक के पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क0	अभ्यर्थियों का नाम व पता
01	श्री कौशल ध्रुव पिता श्री केशव ध्रुव *पता* हाउस/ब्लाक नं. 494/31 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला पोस्ट–सेजबहार जिला रायपुर छ0ग0 पिन नं. 493889

शर्तें :–

01. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे।
02. नियुक्त कर्मचारी आज्ञाकारिता में उत्कृष्ठ मापदंड के अनुसार कार्य करेगे तथा सौपे गये कार्यो को सहर्ष पूरा रखेगा।
03. नियुक्त कर्मचारी 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार आवश्यक रूप से ग्रहण करेगा,उक्त अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह माना जावेगा कि उक्त पद पर कार्य करने का आवेदक इच्छुक नहीं है तथा उक्त दशा में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
04. नियुक्त कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके जिले के हो अथवा जिला कोण्डागांव के हो से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
05. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् यदि स्थायी पद उपलब्ध होगा तो स्थायी किया जावेगा। अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थायी तौर पर निरन्तर आगामी आदेश तक जारी रहेगा। परीवीक्षा में आपकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
06. कार्यभार ग्रहण करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेज जो आपने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है, की मूल एवं एक–एक छायाप्रति स्व–प्रमाणित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न अथवा असत्य पाई जाती है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।
07. चरित्र सत्यापन में यदि आपको सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो आपकी शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

08. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

09. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आगे की शिक्षा बिना पूर्व अनुमति के ग्रहण नहीं किया जायेगा। यदि आपको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना पूर्व अनुमति के शिक्षा ग्रहण करने का दोषी पाया जावेगा तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

10. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी समय असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर आवेदक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही आवेदक के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।

11. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना अनुमति के किसी अन्य शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय एवं अन्य कोई संस्था में सीधे नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। यदि आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के ऐसा कृत्य किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

12. यदि कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत किसी कारण से आप शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना कार्यालय को देनी होगी। अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

13. आपके कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

14. आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। आपका जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र समुचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है एवं सत्यापन कराये जाने पर यदि आपका दावा झूठा प्रमाणित होता है तो आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

15. आपकी पदस्थापना जिला स्थापना कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय/अनुभाग में की जा सकती है।

20.2.2024

(श्रीनारायण सिंह)
न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जिला–कोण्डागांव

पृ0क्रमांक 02–A /दो–12–03/2021 कोण्डागांव दिनांक 20.02.2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–रायपुर (छ0ग0)
3. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर संभाग, जगदलपुर (छ0ग0)
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागॉव (छ0ग0)
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटराईजेशन जिला न्यायालय कोण्डागांव छ.ग. की ओर सूचनार्थ कर लेख है, कि जिला न्यायालय के शासकीय वेबसाईट मे आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. प्रशासकीय अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल, कार्या0 कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागॉव (छ0ग0)
9. श्री कौशल ध्रुव पिता श्री केशव ध्रुव पता हाउस/ब्लाक नं. 494/31 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला पोस्ट–सेजबहार जिला रायपुर छ0ग0 पिन नं. 493889 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

20.2.2024

(श्रीनारायण सिंह)
न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जिला–कोण्डागांव